



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 966]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 30, 2017/अग्रहायण 9, 1939

No. 966]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 2017/AGRAHAYANA 9, 1939

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1469(अ).**—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना: यह संशोधन नियम उन मामलों में लागू होंगे जहां इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को अधिमानी बोलीदाता की घोषणा नहीं की गई है और उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पहले अधिमानी बोलीदाता की घोषणा कर दी गई है।
- खनिज (नीलामी) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 2 के, उप-नियम (1) के, खंड (ड) के, उप-खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ii) ऐसे खनिज की प्रति मीट्रिक टन औसत कीमत, जो सुसंगत राज्य के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमानित संसाधनों के मूल्य की संगणना वाले मास के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास की अवधि के लिए प्रकाशित की गई है, गुणनफल के बराबर है:

परंतु यह कि यदि किसी भी खनिज अथवा खनिज श्रेणी के लिए, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किसी माह के लिए सुसंगत किसी राज्य के लिए, औसत विक्रय मूल्य प्रकाशित नहीं किया गया है तो ऐसे खनिज अथवा खनिज श्रेणी के लिए उस महीने के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित अखिल भारतीय औसत विक्रय मूल्य का उपयोग किया जाएगा”;

4. उक्त नियमों के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

**3. लागू होना-** ये नियम निम्नलिखित के सिवाय सभी खनिजों पर लागू होंगे-

- (i) धारा 3 के खंड (ड) में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के रूप में अधिसूचित खनिज;
- (ii) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों; और
- (iii) अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों, जिनका ग्रेड, परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 के अंतर्गत यथानिर्धारित एवं अधिसूचित आरंभिक मूल्य के समकक्ष अथवा उससे अधिक है।

5. उक्त नियम के नियम 6 के उप-नियम (4) के खंड (ii) में, निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“परंतु यह कि पूर्व वित्तीय वर्ष में उत्खनित कुल खनिज के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य खनिज की मात्रा, जिसके लिए अंत्य उपयोग को विनिर्दिष्ट किया गया है, का चालू वित्तीय वर्ष में विक्रय किया जा सकता है”।

6. उक्त नियम के, नियम 9 के उप-नियम (4) के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(4) नीलामी एक आरोही अग्रेतर ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक नीलामी होगी और इसमें नीलामी के प्रयास शामिल होंगे जिनमें नीलामी के प्रत्येक प्रयास में नीलामी का प्रथम चक्र और नीलामी का द्वितीय चक्र शामिल होगा।

(5) नीलामी के प्रथम चक्र में; बोली लगाने वाले प्रस्तुत करेंगे,-

(क) एक तकनीकी बोली में अन्य के साथ-साथ अधिनियम और इसके तहत बने नियमों के उपबंधों के अनुसार नीलामी में भाग लेने के लिए अर्हता सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य, बोली प्रतिभूति और अन्य ऐसे दस्तावेज और भुगतान जो निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, सम्मिलित होंगे; और

(ख) एक आरंभिक कीमत प्रस्थापना जो प्रेषित खनिज मूल्य की प्रतिशतता होगी।

(6) केवल उन बोली लगाने वालों, जो नियम 6 में विनिर्दिष्ट पात्रता के निबंधनों और शर्तों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और जिनकी आरंभिक कीमत प्रस्थापना आरक्षित कीमत के बराबर या उससे अधिक हो और जिन्हें “तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, पर नीलामी के द्वितीय चक्र के लिए विचार किया जाएगा।

(7) तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों के बीच उच्चतम आरंभिक कीमत प्रस्थापना ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक नीलामी के द्वितीय चक्र के लिए न्यूनतम कीमत होगी।

(8) तकनीकी रूप से पात्र बोली लगाने वालों को उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नगामी आरंभिक कीमत प्रस्थापना के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाएगा और उन श्रेणियों के प्रथम पचास प्रतिशत तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाले (किसी भिन्नांश को उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा) या शीर्ष के पांच तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाले, इनमें से जो भी उच्चतर हो, इलैक्ट्रॉनिक नीलामी के द्वितीय चक्र में भाग लेने के लिए अर्हित बोली लगाने वालों के रूप में अर्हित होंगे:

परंतु यह भी कि यदि तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों की संख्या तीन से पांच के बीच में है तो सभी तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों को अर्हित बोली लगाने वाले के रूप में माना जाएगा:

परंतु यह और भी कि दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों द्वारा समरूप आरंभिक कीमत प्रस्थापना की दशा में ऐसे सभी तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों को, अर्हित बोली लगाने वालों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए समान श्रेणी में रखा जाएगा और ऐसे मामलों में ऊपर उल्लिखित पचास प्रतिशत को तक बढ़ा दिया जाएगा।

#### दृष्टांत

उस दशा में जिसमें तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों की कुल संख्या दस है और तकनीकी रूप से अर्हित प्रत्येक बोली लगाने वाला भिन्न-भिन्न आरंभिक कीमत प्रस्थापना प्रस्तुत करता है वहां पहले पचास प्रतिशत श्रेणी वाले तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों को अर्हित बोली लगाने वाला माना जाएगा।

यदि ऐसे तीन तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाले समान आरंभिक कीमत प्रस्थापना प्रस्तुत करते हैं और उन्हें कुल श्रेणी संख्या के पहले पचास प्रतिशत श्रेणी में श्रेणीकृत किया जाता है तो ऐसे सभी तकनीकी रूप से अर्हित बोली

लगाने वालों को अर्हित बोली लगाने वाला समझा जाएगा और अर्हित बोली लगाने वालों की संख्या में दो की वृद्धि हो जाएगी।

(9) जहां तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों की कुल संख्या तीन अथवा अधिक है, नीलामी प्रक्रिया को नीलामी के द्वितीय चक्र के लिए अग्रोषित किया जाएगा, जो निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा, अर्थात:-

(i) अर्हित बोली लगाने वाले अपनी अंतिम कीमत प्रस्थापना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं जो प्रेषित खनिज की कीमत की प्रतिशतता होगी और न्यूनतम निर्धारित कीमत से अधिक होगी।

परंतु कि अंतिम कीमत प्रस्थापना को नीलामी प्लेटफार्म के तकनीकी विनिर्देश के अनुसार नीलामी पूर्ण होने तक संशोधित किया जा सकता है;

(ii) यदि किसी भी अर्हित बोलीदाता द्वारा ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफार्म पर अंतिम कीमत प्रस्थापना प्रस्तुत नहीं की जाती है तो नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा;

(iii) अधिकतम अंतिम कीमत प्रस्थापना प्रस्तुत करने वाले अर्हित बोलीदाता को तत्काल नीलामी के पूर्ण होने पर "अधिमानी बोलीदाता" के रूप में घोषित किया जाएगा।

(10) जब तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों की कुल संख्या तीन से कम हों, तो किसी भी तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाता को अर्हित बोली लगाने वाला नहीं समझा जाएगा और नीलामी के प्रथम प्रयास को रद्द किया जाएगा।

(11) नीलामी के पहले प्रयास के रद्द होने पर राज्य सरकारें यह विनिश्चय कर सकती हैं:

(क) निबंधन और शर्तों के अलग सेट के साथ नए सिरे से नीलामी प्रक्रिया आरंभ करने तथा उपयुक्त और आवश्यक मानी गई कीमत को आरक्षित कर सकती है; और अथवा

(ख) नीलामी का दूसरा प्रयास करना।

(12) यदि राज्य सरकार ऊपर उप-नियम (11) के खंड (ख) के अनुसार नीलामी का दूसरा प्रयास करने का विनिश्चय करती है, तो नीलामी के दूसरे प्रयास की शर्तें और निबंधन वही रहेंगे जैसी नीलामी के पहले रद्द चक्र में थे:

परंतु कि किसी पहले रद्द प्रयास में तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाले की उच्चतम आरंभिक कीमत प्रस्थापना, यदि कोई हो, द्वितीय प्रयास के प्रथम चक्र में आरक्षित कीमत होगी:

परंतु यह भी कि तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाताओं की संख्या तीन से कम रहने के मामले में द्वितीय चक्र में बोली जारी रहेगी।

7. उक्त नियम में नियम 10 के उप-नियम (6) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु यह कि आशय पत्र की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति पर किसी भी खनन पट्टा विलेख का निष्पादन नहीं किया जाएगा, और आशय-पत्र अमान्य हो जाएगा जिससे नीलामी की संपूर्ण प्रक्रिया रद्द हो जाएगी:

परंतु, यह भी कि राज्य सरकार खनन पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए दो वर्ष की और अवधि की अनुमति दे सकती है यदि विलंब के कारण अधिमानी बोलीदाता के नियंत्रण से परे थे।"

8. उक्त नियमों में, "खनिज रियायत नियम, 1960" शब्दों और अंकों के लिए जहां भी वे आते हैं, के स्थान पर "खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016" में शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

9. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम(2) में, "के पहले पांच वर्षों के भीतर नियम 8 के उप-नियम (3) के अधीन संदत्त रकम के विरुद्ध पूर्ण समायोजन", शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "पर नियम 8 के उप-नियम(3) के अधीन संदत्त की जाने वाली रकम के विरुद्ध अतिशीघ्र पूरा समायोजन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

10. उक्त नियमों के, नियम 12 के, उप-नियम (1) में,-

(क) "सफल" शब्द के स्थान पर, "अधिमानी" शब्द रखा जाएगा; और

- (ख) अंत में आने वाले शब्दों “अनुमानित साधनों की पुनर्निर्धारित मूल्य” के पश्चात् “किसी नवीनतम खोजे गए खनिज के मूल्य सहित जो कि इसकी खोज पर खनन पट्टा में शामिल किया जा सके” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

11. उक्त नियमों के नियम 19 में-

- (क) उप-नियम 2 में अंत में मौजूद “प्राक्कलित संसाधन के मूल्य” शब्दों के पश्चात् “खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साध्य) नियम 2015 के अनुसार खनिज अंतर्वस्तु के साध्य को निर्धारित करने के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (9) के अनुसार पूर्वोक्त कार्य को पूरा करने के पश्चात् संयुक्त अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्रमाणित” अंतःस्थापित किया जाएगा ; और
- (ख) उप-नियम 4 के लिए निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(4) निष्पादन प्रतिभूति अनुसूची IV में यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में बैंक गारंटी अथवा प्रतिभूति जमा के माध्यम से दी जाएगी, जोकि इन उपबंधों के अनुसार अवलंब ली जा सकती है-

- (i) पूर्वोक्त लाइसेंस विलेख;
- (ii) खान विकास और उत्पादन करार;
- (iii) खनन पट्टा विलेख।

परंतु यह कि राज्य सरकार, इस बात का समाधान होने पर कि समेकित अनुज्ञप्ति धारक ने अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (9) के अनुसरण में पूर्वोक्त कार्यकलापों को पूरा कर लिया है परंतु धारा 11 की उप-धारा (10) और खनिज (खनिज पदार्थ का साध्य) नियम, 2015 के अनुसरण में सभी संभव प्रयास करने के उपरांत भी खनिज तत्वों की विद्यमानता स्थापित नहीं कर सका है, समेकित अनुज्ञप्ति धारक द्वारा निष्पादन सुरक्षा के रूप में दी गई बैंक गारंटी अथवा प्रतिभूति जमा वापस करेगी।”

12. उक्त नियम के अनुसूची 1 में निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

**“अनुसूची I**

**पात्रता की निबंधन और शर्तें**

**[नियम 6 (1) और 6 (2) देखें]**

1. निम्नलिखित शुद्ध मूल्य अपेक्षाएं प्राक्कलित संसाधनों के मूल्य पर निर्भर करते हुए खान पट्टे की नीलामी के लिए लागू होंगी अर्थात्:-

- (क) यदि प्राक्कलित संसाधनों का मूल्य एक हजार करोड़ रुपये के बराबर अथवा उससे अधिक है तो आवेदक, जिसके अंतर्गत व्यष्टिक भी है, के पास प्राक्कलित संसाधनों के मूल्य के 2% से अधिक शुद्ध मूल्य होगा।
- (ख) यदि प्राक्कलित संसाधनों का मूल्य एक हजार करोड़ रुपये से कम परंतु एक सौ करोड़ रुपये से अधिक है तो आवेदक, जिसके अंतर्गत व्यष्टिक भी है, के पास प्राक्कलित संसाधनों के मूल्य का 1% से अधिक शुद्ध मूल्य होगा।
- (ग) यदि प्राक्कलित संसाधनों का मूल्य एक सौ करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर है तो, आवेदक, जो व्यष्टिक भी है, के पास प्राक्कलित संसाधनों के मूल्य 0.5 प्रतिशत से अधिक शुद्ध मूल्य होगा।

2. समेकित अनुज्ञप्ति की नीलामी के मामले में, आवेदक के पास प्राक्कलित संसाधनों के मूल्य का 1% से अधिक शुद्ध मूल्य होगा और जहां प्राक्कलित संसाधनों का मूल्य एक सौ करोड़ रुपये के बराबर अथवा उससे कम हो, तो आवेदक के पास प्राक्कलित संसाधनों के मूल्य के 0.5% से अधिक शुद्ध मूल्य होना चाहिए।

**स्पष्टीकरण :**

- (1) यदि आवेदक भारत में निगमित किसी अन्य कंपनी का अनुषंगी है तो ऐसे धृति कंपनी का शुद्ध मूल्य भी विचार में लिया जा सकेगा:

परंतु कि ऐसे मामले में आवेदक को तब तक ऐसी धृति कंपनी का अनुषंगी बना रहना चाहिए, जब तक कि आवेदक ऊपर वर्णित शुद्ध मूल्य सीमा तक न पहुंचे।

- (2) कंपनी के मामले में, शुद्ध मूल्य, संदत्त शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षित का सकल होगा जैसा कि निविदा आमंत्रण सूचना जारी होने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती समाप्त वित्त वर्ष के संपरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार है।
- (3) यदि निविदा आमंत्रण नोटिस वर्ष के 1 अप्रैल से 30 सितंबर (दोनों दिन शामिल) के बीच जारी किया जाता है तो निविदा आमंत्रण सूचना के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती वित्त वर्ष से पूर्व वित्त वर्ष का संपरीक्षित तुलन-पत्र बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, यदि पूर्व वित्त वर्ष के ठीक पूर्व के संपरीक्षित तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है।
- (4) किसी व्यष्टि के मामले में, शुद्ध मूल्य, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को इति नकद बकाया होगा और ऐसी रकम में अनुसूचित बैंक अथवा डाकघर में बचत बैंक खाता में रकम, अनुसूचित बैंकों, डाकघर, सूचीबद्ध कंपनियों अथवा सरकारी संगठन अथवा राज्य और केंद्रीय सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रम में मुक्त और अविल्लंगमित नियत जमा, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, बंधपत्र, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर, सूचीबद्ध पारस्परिक निधियां, यूनिट संबद्ध बीमा योजना, लोक भविष्य निधि, जीवन बीमा पॉलिसियों का अभ्यर्पण मूल्य तथा आवेदक के नाम पर अविल्लंगमित स्थावर संपत्ति सम्मिलित हो सकेगी।”

13. उक्त नियम में, अनुसूची III में,

(क) पैरा क के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएगा, अर्थात:-

“क. कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अधीन भारत में निगमित (**अधिमानी बोलीदाता का नाम**), जिसकी कॉरपोरेट पहचान संख्या (**अधिमानी बोलीदाता का सीआईएन**), जिनका पंजीकृत कार्यालय (पंजीकृत कार्यालय का पता), भारत में है और कारोबार का प्रमुख स्थान (कारोबार के प्रमुख स्थान का पता, यदि पंजीकृत कार्यालय से भिन्न हो) अथवा (व्यष्टिक का नाम) जो भारत का नागरिक है, जिसके पास आयकर स्थाई खाता संख्या (संख्या) है.....(पता) का निवासी है, अथवा [भागीदारी फर्म/व्यष्टिको का समूह] जिसके सभी सदस्य भारतीय नागरिक हैं, और भारत के निवासी है जिनके कारोबार का प्रमुख स्थान (कारोबार के स्थान का पता) में है, (**“अधिमानी बोलीदाता”**) को (निष्पादन बैंक गारंटी की समाप्ति की तारीख (**“समाप्ति तारीख”**) तक वैध सुरक्षा निष्पादन के तौर पर आईएनआर (आंकड़े) [भारतीय रूपए (शब्दों में)] के समान रकम के लिए शर्तविहीन एवं अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति देना आवश्यक है”;

(ख) अनुच्छेद ग में, “के अनुरोध पर” शब्दों के पहले आने वाले शब्द “सफल” के स्थान पर शब्द “अधिमानी” रखा जाएगा।

14. मूल नियम में, अनुसूची III के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

#### ‘अनुसूची IV

समेकित अनुज्ञापति के लिए निष्पादन प्रतिभूति का प्रपत्र

[देखिए नियम 19(4)]

[बैंक की संदर्भ संख्या]

[तारीख]

सेवा में

राज्यपाल [राज्य नाम]

[पता]

जबकि

क. कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अधीन भारत में निगमित (**अधिमानी बोलीदाता का नाम**), जिसकी कॉरपोरेट पहचान संख्या (**अधिमानी बोलीदाता का सीआईएन**), जिनका पंजीकृत कार्यालय (पंजीकृत कार्यालय का पता), भारत में है और कारोबार का प्रमुख स्थान (कारोबार के प्रमुख स्थान का पता, यदि पंजीकृत कार्यालय से भिन्न हो) अथवा (व्यष्टिक का नाम) जो भारत का नागरिक है, जिसके पास आयकर स्थाई खाता संख्या (संख्या) है.....(पता) का

निवासी है, अथवा [भागीदारी फर्म/व्यष्टिको का संघ] जिसके सभी सदस्य भारतीय नागरिक हैं, और भारत के निवासी है जिनके कारबार का प्रधान स्थान (कारबार के स्थान का पता) है, ("**अधिमानी बोलीदाता**") को (निष्पादन बैंक गारंटी की समाप्ति की तारीख ("**समाप्ति तारीख**") तक वैध सुरक्षा निष्पादन के तौर पर आईएनआर (आंकड़े) [भारतीय रूपए (शब्दों में)] के समान रकम के लिए शर्तविहीन एवं अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति देना आवश्यक है" जो ("**समाप्ति की तारीख**") की तारीख से [\*][\*] की आरंभिक अवधि के लिए वैध होगी।

- (ख) नीलामी (नीलामी का विवरण) के संबंध में तारीख [तारीख] के निविदा दस्तावेज के तहत कुछ बाध्यताओं की पूर्ति हेतु (**राज्य का नाम**), ("**राज्य**") के **राज्यपाल** को निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करना अपेक्षित है और राज्य और सफल बोलीदाता के बीच पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए विलेख और राज्य और सफल बोलीदाता के बीच खान विकास और उत्पादन करार (संयुक्त रूप से "करार") निष्पादित किया जाना अपेक्षित है।
- (ग) अधिमानी बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता के अनुरोध पर हम बैंक, (**बैंक का नाम**) ("**बैंक**") इसमें अंतर्विष्ट निबंधनों एवं शर्तों पर राज्य की मांग पर करार के अधीन सफल बोलीदाता की बाध्यताओं को सुरक्षित रखने हेतु आईएनआर (आंकड़े) (भारतीय रूपए (शब्दों में)) ("**प्रत्याभूति रकम**") तक की रकम राज्य को संदाय करने का वचन देते हैं।

**अतः अब**, बैंक राज्य के पक्ष में प्रत्याभूति राशि में अधिमानी बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता की ओर से यह अप्रतिसंहरणीय और शर्तविहीन संदाय बैंक प्रत्याभूति ("**प्रत्याभूति**") राज्य के पक्ष में जारी करता है:

1. बैंक इस प्रयोजन से राज्य से प्राप्त प्रथम लिखित मांग की प्राप्ति पर तत्काल राज्य को उसमें विनिर्दिष्ट राशि हेतु, ऐसी मांग के लिए राज्य सरकार द्वारा बैंक वजहों अथवा कारणों को दर्शाने अथवा साबित करने की राज्य की आवश्यकता के बिना और किसी भी मामले में राज्य और अधिमानी बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता के मध्य किसी विवाद अथवा मतभेद के बावजूद, वह राशि अथवा राशियां (एक अथवा अधिक दावों के माध्यम से) जो कि कुल की प्रत्याभूति मात्रा से अधिक न हो, बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, केवियट, विरोध अथवा आश्रय के बिना शर्त रहित तथा स्थायी तौर पर संदाय करने का वचन देता है। संपूर्ण और स्पष्ट होने के तहत, बैंक के दायित्वों के संबंध में किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष लंबित किसी मामले अथवा कार्रवाई में अधिमानी बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता द्वारा उत्पन्न किसी विवाद अथवा विवादों के होते हुए भी मांगी गई राशि का संदाय राज्य को करने का वचन देता है।
2. बैंक यह स्वीकार करता है कि राज्य को बैंक द्वारा संदाय की जाने वाली रकम की राज्य द्वारा ऐसी कोई भी मांग, करार के अधीन राज्य को अधिमानी बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता द्वारा संदाय की जाने वाली रकम के संबंध में अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक प्रमाण होगा।
3. बैंक इसके द्वारा राज्य की उपर्युक्त राशि अथवा अधिमानी बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता से उसके किसी अंश की मांग की आवश्यकता को अधित्यक्त करता है और साथ ही इस प्रत्याभूति के अधीन संदाय हेतु बैंक कि किसी लिखित मांग को प्रस्तुत करने से पूर्व, अधिमानी बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता के विरुद्ध अपने विधिक उपचार का राज्य द्वारा अपनाए जाने को आवश्यक बनाने के बैंक के किसी अधिकार का भी अधित्यजन करता है।
4. इसके अतिरिक्त बैंक बिना शर्त के राज्य से सहमति रखता है कि राज्य को छूट होगी कि, बिना बैंक की सहमति के और इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक के किसी दायित्व को किसी रूप में प्रभावित किए, बिना समय-समय पर :
  - (i) करार के निबंधनों और शर्तों को बदल और/या उपरांतरित कर सकेगा;
  - (ii) करार के अधीन अधिमानी बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता के कर्तव्यों के निष्पादन हेतु समय को विस्तृत और/या स्थगित कर सकेगा, अथवा
  - (iii) करार के निबंधनों और शर्तों के अधीन अधिमानी बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता के विरुद्ध राज्य द्वारा अपनाए जाने वाले किन्हीं अधिकारों को प्रविरत रहना या प्रवृत्त कर सकेगा।

और बैंक को किसी कार्य करने या करने से लोप के कारण अथवा राज्य की ओर से हुए लोप अथवा अधिमानी बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता के राज्य द्वारा किसी अनुग्रह अथवा किसी किसी कारण जो प्रतिभूतियों से संबंधित नियम की अधीन बैंक को उसके कर्तव्यों से मुक्त नहीं करेगा बल्कि इस उपबंध हेतु, इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक को उसकी बाध्यताओं से मुक्त करने का प्रभाव होगा।

5. इसके अधीन किया गया कोई भी संदाय किसी वर्तमान एवं भविष्य कर, लेवी, लाग, शुल्क, प्रभारों, फीस, कमीशन, कटौतियों अथवा किसी भी प्रकृति की रोकों, के कारण से, किसी कटौतियों से मुक्त होगा।

6. बैंक सहमति देता है कि राज्य अपने विकल्प पर अधिमानी बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता के विरुद्ध प्रथम दृष्टा कार्यवाही के बिना, प्रथम दृष्टांत में प्रमुख ऋणदाता के तौर पर, बैंक के विरुद्ध इस प्रत्याभूति को लागू करने का हकदार होगा।
7. बैंक यह भी सहमति देता है कि इसमें अन्तर्विष्ट प्रत्याभूति और प्रत्याभूति बाध्यताएं, करार में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान पूरी तरह प्रवृत्त और लागू रहेगी तथा यह कि यह तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक (i) अधिमानी बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता के सुरक्षा निष्पादन के संबंध में कथित करार के आधार पर अथवा उसके अधीन सभी बाध्यताएं तरह संदत्त नहीं हो जाती और उसके दावों का समाधान या उन्मोचन नहीं हो जाता अथवा (ii) पूर्ति अथवा जब तक राज्य यह प्रमाणित नहीं करता कि सुरक्षा निष्पादन के संबंध में करार के नियम और शर्तों का पूरी तरह एवं उचित रूप में अधिमानी बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता द्वारा पालन कर लिया गया है और तदनुसार इस प्रत्याभूति का उन्मोचन ना हो जाए अथवा (iii) खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 19 के उप-नियम (2) के अधीन किसी संशोधित निष्पादन सुरक्षा का उपबंध करने पर, जो भी बाद में, हो निर्वहन न हो जाए। इसमें किसी बात के होते हुए जब तक इस प्रत्याभूति के अधीन मांग या दावा बैंक पर लिखित में अवसान की तारीख पर या उससे पहले नहीं करता तब तक बैंक इस प्रत्याभूति के अधीन कोई मांग अथवा दावा पेश नहीं किया जाता बैंक को तदनंतर इस प्रत्याभूति के अधीन सभी दायित्वों से मुक्त रखा जाएगा।
8. इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक द्वारा किया गया संदाय इस आधार पर संदाय हेतु बैंक के दायित्वों का वैध उन्मोचन माना जाएगा और राज्य ऐसा संदाय करने के लिए बैंक के विरुद्ध कोई दावा पेश नहीं कर पाएगा।
9. यह प्रत्याभूति भारत की विधि के अधीन है। इस प्रत्याभूति अथवा इसकी विषय वस्तु के कारण उत्पन्न किसी वाद, कार्रवाई अथवा अन्य कार्रवाई संबंधित राज्य के न्यायालयों के विशिष्टतया अधिकारिता के अधीन होगी।
10. बैंक के पास इस प्रत्याभूति को राज्य के पक्ष में जारी करने का अधिकार है। इस प्रत्याभूति को बैंक के गठन में परिवर्तन के फलस्वरूप उन्मोचित नहीं किया जा सकेगा।
11. बैंक, लिखित में राज्य की पूर्व सहमति के बिना इस प्रत्याभूति को इसके जारी रहने के दौरान प्रतिसंहरित नहीं करने के लिए वचनबद्ध है।
12. राज्य, बैंक को पूर्व सूचना द्वारा, किसी अन्य विभागों, मंत्रालयों अथवा अन्य किसी सरकारी अभिकरणों को इस प्रत्याभूति के अधीन अधिकार दे सकेगा, जो राज्यपाल के नाम पर कार्य होंगे। खंड-12 में उपबंधित के सिवाय, यह प्रत्याभूति समनुदेशनीय अथवा हस्तांतरणीय नहीं होगी।
13. इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,
  - क. इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन बैंक का दायित्व प्रत्याभूति रकम से अधिक नहीं होगा।
  - ख. यह बैंक प्रत्याभूति अवसान की तारीख तक मान्य होगी।
14. बैंक केवल इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन प्रत्याभूति की रकम अथवा उसके किसी अंश के संदाय के लिए केवल और केवल तभी उत्तरदायी है यदि राज्य अवसान की तारीख को अथवा उसके पूर्व बैंक को लिखित दावा अथवा मांग पेश करता है।

.....(वर्ष).....(माह).....(तारीख)

जिसके साक्ष्य में बैंक ने, अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से, अपना हस्ताक्षर और मोहर लगाई है।

.....

(हस्ताक्षर)

.....

(नाम और पदनाम)

(बैंक मोहर)

[फा. सं. 1/1/2017-खान-VI]

बिपुल पाठक, संयुक्त सचिव

**नोट:-** मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 406 (अ), दिनांक 20 मई, 2015 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF MINES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2017

**G.S.R.1469 (E).**— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2017.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Application.— These amendment rules shall be applicable to cases where the preferred bidder has not been declared as on the date of publication of these rules, and shall not be applicable to cases where the preferred bidder has been declared before the date of publication of these rules.
3. In the Mineral (Auction) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (m), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—
  - “(ii) the average price per metric tonne of such mineral as published by Indian Bureau of Mines for the relevant State for a period of twelve months immediately preceding the month of computation of the Value of Estimated Resources:  
  
Provided that if for any mineral or mineral grade, the average sale price in respect of the relevant State for any month is not published by Indian Bureau of Mines, the all India average sale price published by Indian Bureau of Mines for such mineral or mineral grade for that month shall be used.”
4. In the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—
 

“3. **Application.**— These rules shall apply to all minerals, except—

  - (i) minerals notified as minor minerals specified under clause (e) of section 3;
  - (ii) minerals specified in Part A of the First Schedule to the Act; and
  - (iii) minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act having grade equal to or more than the threshold value as specified and notified under the Atomic Minerals Concession Rules, 2016.”
5. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (4), in clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely:—
 

“Provided that quantity of mineral equivalent to twenty five per cent. of total mineral excavated in the previous financial year, for which end use was specified can be sold in the current financial year.”
6. In the said rules, in rule 9, for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely:—
 

“(4) The auction shall be an ascending forward online electronic auction and shall comprise of attempts of auction with each attempt of auction consisting of a first round of auction and a second round of auction.

(5) In the first round of auction, the bidders shall submit, —

  - (A) a technical bid comprising amongst others, documentary evidence to confirm eligibility as per the provisions of the Act and the rules made thereunder to participate in the auction, bid security and such other documents and payments as may be specified in the tender document; and
  - (B) an initial price offer which shall be a percentage of value of mineral despatched.

(6) Only those bidders who are found to be eligible in accordance with the terms and conditions of eligibility specified in rule 6 and whose initial price offer is equal to or greater than the reserve price, referred to as “technically qualified bidders”, shall be considered for the second round of auction.

(7) The highest initial price offer amongst the technically qualified bidders shall be the floor price for the second round of online electronic auction.

(8) The technically qualified bidders shall be ranked on the basis of the descending initial price offer submitted by them and the technically qualified bidders holding the first fifty per cent. of the ranks (with any fraction rounded off to higher integer) or the top five technically qualified bidders, whichever is higher, shall qualify as qualified bidders for participating in the second round of electronic auction:



Provided that if the number of technically qualified bidders is between three and five, then all the technically qualified bidders shall be considered as qualified bidders:

Provided further that in the event of identical initial price offers being submitted by two or more technically qualified bidders, all such technically qualified bidders shall be assigned the same rank for the purposes of determination of qualified bidders and in such case, the aforementioned fifty per cent. shall stand enhanced to the extent of tie occurring within the first fifty per cent.

*Illustration*

In the event there are a total of ten technically qualified bidders, and each technically qualified bidder submits different initial price offer, then the technically qualified bidders holding the first fifty per cent. of ranks shall be considered to be qualified bidders.

If three such technically qualified bidders submit the same initial price offer and are ranked in first fifty per cent. of the total number of ranks, then, all the three technically qualified bidders shall be considered to be qualified bidders and the total number of qualified bidders shall stand increased by two.

(9) Where the total number of technically qualified bidders is three or more, the auction process shall proceed to the second round of auction which shall be held in the following manner, namely:-

- (i) the qualified bidders may submit their final price offer which shall be a percentage of value of mineral despatched and greater than the floor price:

Provided that the final price offer may be revised till the conclusion of the auction as per the technical specifications of the auction platform;

- (ii) The auction process shall be annulled if none of the qualified bidders submits a final price offer on the online electronic auction platform;
- (iii) the qualified bidder who submits the highest final price offer shall be declared as the “preferred bidder” immediately on conclusion of the auction.

(10) Where the total number of technically qualified bidders is less than three, then no technically qualified bidder shall be considered to be qualified bidder and the first attempt of auction shall be annulled.

(11) On annulment of the first attempt of auction, the State Government may decide to—

- (a) commence the auction process *de novo* with a separate set of terms and conditions and reserve price as it may deem fit and necessary; or
- (b) conduct the second attempt of auction.

(12) In case the State Government decides to conduct the second attempt of auction as per clause (b) of sub-rule (11), the terms and conditions of the second attempt of auction shall remain the same as in the first annulled attempt of auction:

Provided that the highest initial price offer of the technically qualified bidders if any in the first annulled attempt shall be the reserve price in first round of the second attempt:

Provided further that the bidding shall continue to the second round even in case the number of technically qualified bidders is less than three.’

7. In the said rules, in rule 10, in sub-rule (6), the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that no Mining Lease Deed shall be executed on expiry of a period of three years from the date of the letter of intent, and the letter of intent shall be invalidated leading to annulment of the entire process of auction:

Provided further that the State Government may allow a further period of two years for execution of the Mining Lease Deed if the reasons for delay were beyond the control of the preferred bidder.”.

8. In the said rules, for the words and figures “Mineral Concession Rules, 1960” wherever they occur, the words, brackets and figures “Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016” shall be substituted.

9. In the said rules, in rule 11, in sub-rule (2), for the words, brackets and figures “adjusted in full against the amount paid under sub-rule (3) of rule 8 within the first five years of”, the words, brackets and figures “adjusted in full at the earliest against the amount to be paid under sub-rule (3) of rule 8 on” shall be substituted.

10. In the said rules, in rule 12, in sub-rule (1),—
- (a) for the word “successful”, the word “preferred” shall be substituted; and
  - (b) after the words “reassessed value of estimated resources” occurring at the end, the words “including the value of any newly discovered mineral that may be included in the mining lease deed on its discovery” shall be inserted.
11. In the said rules, in rule 19,—
- (a) in sub-rule (2), after the words “value of estimated resources” occurring at the end, the words “established by the holder of the Composite Licence after completion of prospecting operations in accordance with sub-section (9) of section 11 of the Act resulting in determination of evidence of mineral contents conforming to the Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015” shall be inserted; and
  - (b) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 

“(4) The performance security shall be provided through bank guarantee in the format as specified in Schedule IV or through security deposit, which may be invoked as per the provisions of —

    - (i) the prospecting licence deed;
    - (ii) the Mine Development and Production Agreement;
    - (iii) the Mining Lease Deed:

Provided that the State Government on being satisfied that the holder of Composite Licence has completed prospecting operations in accordance with sub-section (9) of section 11 of the Act but is unable to establish the existence of mineral contents even after making all possible efforts in accordance with sub-section (10) of section 11 of the Act, and the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, shall return the bank guarantee or the security deposit provided by the holder of the Composite Licence as performance security.”.
12. In the said rules, for Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely:—

### “SCHEDULE I

#### Terms and conditions of eligibility

[See rules 6(1) and 6(2)]

1. The following net worth requirements shall be applicable for an auction of mining lease depending on the Value of Estimated Resources, namely:—
  - (a) If the Value of Estimated Resources is equal to or more than one thousand crore rupees, the applicant, including an individual, shall have a net worth more than 2 per cent. of Value of Estimated Resources.
  - (b) If the Value of Estimated Resources is less than one thousand crore rupees but more than one hundred crore rupees, the applicant, including an individual, shall have a net worth more than 1 per cent. of Value of Estimated Resources.
  - (c) If the Value of Estimated Resources is less than or equal to one hundred crore rupees, the applicant, including an individual, shall have a net worth more than 0.5 per cent. of Value of Estimated Resources.
2. In case of auction of Composite Licence, the applicant shall have a net worth of more than 1 per cent. of the Value of Estimated Resources and where the value of Estimated Resources is equal or less than one hundred crore rupees, the applicant must have a net worth more than 0.5 per cent. of Value of Estimated Resources.

*Explanation.—*

- (1) In case an applicant is a subsidiary of another company incorporated in India, the net worth of such holding company may also be considered:
 

Provided that, in such case, the applicant shall continue to be a subsidiary of such holding company until such time the applicant meets the aforementioned net worth threshold.
- (2) In case of a company, the net worth shall be the sum of paid up share capital and the free reserves as per the audited balance sheet of the financial year ended immediately preceding the date of issuance of notice inviting tender.

- (3) In case the notice inviting tender is issued between 1<sup>st</sup> April to 30<sup>th</sup> September (both days inclusive) of a year, the audited balance sheet of the financial year before the immediately preceding financial year, from the date of issuance of notice inviting tender, may be submitted by the bidder, if the audited balance sheet of the immediately preceding financial year is not available.
- (4) In case of an individual, the net worth shall be the closing cash balance on the last date for submission of application, and such amount may include amount in savings bank accounts in Scheduled Bank or Post Office, free and un-encumbered fixed deposits in Scheduled Banks, Post Office, Listed Companies or Government organisation or Public Sector Undertakings of a State and the Central Government, Kisan Vikas Patra, National Saving certificate, Bonds, Shares of Listed Companies, Listed Mutual Funds, Unit Linked Insurance Plan, Public Provident Fund, Surrender Value of Life Insurance policies, and un-encumbered immovable property in the name of Applicant.”.

13. In the said rules, in Schedule III,

- (a) for paragraph A, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“A. [Name of the Preferred Bidder] incorporated in India under the Companies Act, [1956/2013] with corporate identity number [CIN of the Preferred Bidder], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] OR [Name of individual] who is citizen of India, having income tax permanent account number [number], residing at [address] OR [partnership firm/association of individuals], all members of whom are Indian citizens and residents of India whose principal place of business is at [address of principal place of business] (the " Preferred Bidder ") is required to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount equal to INR [figures] (Indian Rupees [words]) as a performance security valid until [date of expiry of performance bank guarantee] ("Expiry Date").” ;

- (b) in paragraph C, for the word “Successful” occurring after words “at the request of the”, the word “Preferred” shall be substituted.

14. In the principal rules, after Schedule III, the following Schedule shall be inserted, namely:—

#### ‘SCHEDULE IV

#### Format of Performance Security for Composite Licence

[See rule 19(4)]

[Reference number of the bank] [date]

To  
The Governor of [Name of State]  
[address]

WHEREAS

- A. [Name of the Preferred Bidder] incorporated in India under the Companies Act, [1956/2013] with corporate identity number [CIN of the Preferred Bidder], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] OR [Name of individual] who is citizen of India, having income tax permanent account number [number], residing at [address] OR [partnership firm/association of individuals], all members of whom are Indian citizens and residents of India whose principal place of business is at [address of principal place of business] (the “Preferred Bidder”) is required to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount equal to INR [figures] (Indian Rupees [words]) as a performance security valid for an initial period of [•]([•]) years from the date hereof (“Expiry Date”).
- B. The Performance Security is required to be provided to the Governor of [Name of State], (the “State”) for discharge of certain obligations under the Tender Document dated, [date] with respect

to auction of [particulars of auction] AND the deed for grant of a prospecting licence to be executed between the State and the Successful Bidder AND the Mine Development and Production Agreement to be executed between the State and the Successful Bidder (collectively the “**Agreement**”).

- C. We, [name of the bank] (the “**Bank**”) at the request of the Preferred Bidder or Successful Bidder do hereby undertake to pay to the State an amount not exceeding INR [figures] (Indian Rupees [words]) (“**Guarantee Amount**”) to secure the obligations of the Preferred Bidder or Successful Bidder under the Agreement on demand from the State on the terms and conditions herein contained herein.

NOW, THEREFORE, the Bank hereby issues in favour of the State this irrevocable and unconditional payment bank guarantee (the “**Guarantee**”) on behalf of the Preferred Bidder or Successful Bidder in the Guarantee Amount:

1. The Bank for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to the State without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from the State, a sum or sums (by way of one or more claims) not exceeding the Guarantee Amount in the aggregate without the State needing to prove or to show to the Bank grounds or reasons for such demand for the sum specified therein and notwithstanding any dispute or difference between the State and Preferred Bidder or Successful Bidder on any matter whatsoever. The Bank undertakes to pay to the State any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Preferred Bidder or Successful Bidder in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Bank’s liability under this present being absolute and unequivocal.
2. The Bank acknowledges that any such demand by the State of the amounts payable by the Bank to the State shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amounts payable by Preferred Bidder or Successful Bidder to the State under the Agreement.
3. The Bank hereby waives the necessity for the State from demanding the aforesaid amount or any part thereof from the Preferred Bidder or Successful Bidder and also waives any right that the Bank may have of first requiring the State to pursue its legal remedies against the Preferred Bidder or Successful Bidder, before presenting any written demand to the Bank for payment under this Guarantee.
4. The Bank further unconditionally agrees with the State that the State shall be at liberty, without the Bank’s consent and without affecting in any manner the Bank’s obligation under this Guarantee, from time to time to:
  - i) vary and/or modify and of the terms and conditions of the Agreement;
  - ii) extend and / or postpone the time for performance of the obligations of the Preferred Bidder or Successful Bidder under the Agreement, or
  - iii) forbear or enforce any of the rights exercisable by the State against the Preferred Bidder or Successful Bidder under the terms and conditions of the Agreement,

and the Bank shall not be relieved from its liability by reason of any such act or omission on the part of the State or any indulgence by the State to the Preferred Bidder or Successful Bidder or other thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of relieving the Bank of its obligations under this Guarantee.

5. Any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deduction for, or on account of, any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever.
6. The Bank agrees that State at its option shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank, as a principal debtor in the first instance without proceeding at the first instance against the Preferred Bidder or Successful Bidder.
7. The Bank further agrees that this bank guarantee and the guarantee obligations herein contained shall remain in full force and effect and shall continue to be enforceable till: (i) all the obligations of the Preferred Bidder or Successful Bidder under or by virtue of the said Agreement with respect to the Performance Security have been fully paid and its claims satisfied or discharged; or (ii) till the State certifies that the terms and conditions of the Agreement with respect to the Performance Security have been fully and properly carried out by the Preferred Bidder or Successful Bidder and accordingly discharges this guarantee; or (iii) on provision of a revised performance security under sub-rule (2) of rule 19 of the Mineral (Auction) Rules, 2015 whichever is later. Notwithstanding anything contained herein, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in

writing on or before the Expiry Date the Bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

8. The payment so made by the Bank under this Guarantee shall be a valid discharge of Bank's liability for payment thereunder and the State shall have no claim against the Bank for making such payment.
9. This Guarantee is subject to the laws of India. Any suit, action, or other proceedings arising out of this Guarantee or the subject matter hereof shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts at the State of [respective State].
10. The Bank has the power to issue this Guarantee in favour of the State. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank
11. The Bank undertakes not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the State in writing.
12. The State may, with prior intimation to the Bank, assign the right under this Guarantee to any other departments, ministries or any governmental agencies, which may act in the name of the Governor. Save as provided in this Clause 12, this Guarantee shall not be assignable or transferable.
13. Notwithstanding anything contained herein,
  - a. the liability of the bank under this bank guarantee shall not exceed the Guarantee Amount; and
  - b. this bank guarantee shall be valid up to the Expiry Date.
14. The Bank is liable to pay the Guaranteed Amount or any part thereof under this bank guarantee only and only if the State serves upon the Bank a written claim or demand on or before the Expiry Date.

Dated the [day] day of [month] [year] for the Bank.

In witness whereof the Bank, through its authorized officer, has set its hand and stamp.

\_\_\_\_\_  
(Signature)

\_\_\_\_\_  
(Name and Designation)

(Bank Stamp).'

[F. No. 1/1/2017-M.VI]

BIPUL PATHAK, Jt. Secy.

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 406(E), dated the 20<sup>th</sup> May, 2015.